रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27082021-229284
CG-DL-E-27082021-229284

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 27, 2021/भाद्र 5, 1943
No. 481] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 27, 2021/BHADRA 5, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 593(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रो में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 8 के साथ पठित धारा 25 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रो में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों और सदस्य सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन और शर्त) नियम 2021 है ।

(2) ये नियम राजपत्र मे उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगे ।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमो मे, जब तक सदर्न्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम " से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रो मे वायु गुणवत्ता प्रबंधन हेतु आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) "पूर्णकालिक सदस्य" से आयोग के लिए धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्ति किया गया पूर्णकालिक संदाय अभिप्रेत है;

(ग) "सदस्य सचिव" से धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्ति किया गया आयोग का सदस्य सचिव अभिप्रेत है;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दो और पदों के, जो इन नियमो मे प्रयुक्त है और परिभाषित नही है किन्तु अधिनियम मे परिभाषित है वही अर्थ होगे जो उस अधिनियम मे है ।

3. नियुक्ति की रीति – (1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य धारा (4) की उपधारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट चयन समिति की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति किए जाएंगे और यदि केन्द्रीय सरकार किसी सेवारत अधिकारी को अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप मे नियुक्ति करती है तो चयन समिति की सिफारिश अपेक्षित नही होगी ।

(2) चयन समिति व्यक्तियो की उपयुक्त, पूर्व कार्य के रिकार्ड, सत्यानिष्ठा और ऐसे अन्य मानदंडो जो समुचित रूप से विचारित किए जाए पर विचार करने के पश्चात् अपनी सिफारिश करने के लिए अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी ।

(3) भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य के पदो के लिए प्रक्रिया करने और उपयुक्त व्यक्ति की तलाश करने में समिति को सचिवीय समर्थन उपलब्ध करेगा और अखिल भारतीय आधार पर और ऐसे अन्य रीति से जो समुचित रूप से विचारित की जाए, किसी विज्ञापन के प्रकाशन के माध्यम आवेदन आमंत्रित करेगा ।

परन्तु विशेष परिस्थितियों मे चयन समिति समुचित रीति जिस वह ठीक समझे अंगीकरण करके अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए उपयुक्त व्यक्ति का चयन कर सकेगी ।

(4) अध्यक्ष को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में कम से कम पंद्रह वर्ष का अनुभव होना चाहिए या कम से कम पच्चीस वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए ।

(5) पूर्णकालिक स्वतंत्र तकनीकी सदस्य वायु प्रदूषण से संबंधित विषयों में विनिर्दिष्ट वैज्ञानिक ज्ञान और अनुभव होना चाहिए ।

(6) केन्द्रीय सरकार, आयोग के लिए संयुक्त सचिव, भारत सरकार की रैंक के एक अधिकारी की नियुक्ति पूर्णकालिक सदस्य-सचिव के रूप मे करेगी ।

4. सेवा की निबंधन और शर्तें – (1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य उस तारीख से, जिसको वे पद ग्रहण करते है तीन वर्ष की अवधि से ज्यादा नहीं होगी या उनके सत्तर वर्ष की आयु पूर्ण करने तक इनमे से जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करेंगे और पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

परन्तु जहाँ केन्द्रीय सरकार, धारा 4 की उपधारा (1) के दुसरे परन्तुक के उपबंधों मे सेवारत अधिकारी की अध्यक्ष या किसी पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति करती है, वहां ऐसी नियुक्ति, नियुक्ति की अवधि को पूरा करने मे इस पर नियुक्त किए गए अधिकारी की अधिवर्षिता के पश्चात् भी जारी रहेगी ।

(2) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य, केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना, संगठन मे जो आयोग के प्रचालित अधिकारिता के भीतर आता है, अपना पद छोडने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान होने तक प्राइवेट रोजगार ग्रहण करने के पात्र नही होगे ।

(3) सदस्य सचिव उस तारीख से जिस को वह पद ग्रहण करते है, जोकि तीन वर्ष की अवधि से ज्यादा नहीं होगी या अपनी अधिवार्षित तक इनमे से जो भी पूर्वत्तर हो, पद ग्रहण करेंगे और पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होंगे ।

5. वेतन – (1) अध्यक्ष का मूल वेतन स्तर-17 में होगा और आयोग के पूर्णकालिक सदस्य (सदस्य सचिव से भिन्न) का मूल वेतन सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा विहित वेतन संरचना के अधीन यथा परिभाषित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-15 में होगा।

परन्तु अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप मे किसी सेवारत अधिकारी की नियुक्ति की दशा में वह केन्द्रीय सरकार के लागू नियमों के अनुसार नियमित वेतन और भत्ते लेता रहेगा ।

परन्तु यह और कि अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य के रूप मे अपना कार्यकाल के पूर्ण करने से पहले सेवानिवृत्त सेवारत अधिकारी की दशा मे, जैसा भी मामला हो उसके वेतन और भत्ते उपनियम (3) और नियम 7 से 17 द्वारा शासित होगे ।

(2) सदस्य सचिव केन्द्रीय सरकार के लागू नियमों और उपबंधों के अनुसार नियमित वेतन और भत्तों के साथ अन्य फायदों का हक़दार होगा ।

(3) किसी व्यक्ति की ऐसे अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य के रूप मे नियुक्ति की दशा में जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन सेवा से निवृत्त हो गये है और जो पेन्सन, उपदान अभिदाय भविष्य निधि मे नियोजक का अभिदाय या सेवा निवृत्ति के फायदे प्राप्त कर रहा है या प्राप्त किए है या इन के माध्यम से किन्ही सेवा निवृत्ति फायदो को प्राप्त करने का

IndiaCode

हकदार हो गया है तो यथास्थिति पेन्शन और उपदार के समतुल्य पेन्शन या अभिदायी भविष्य निधि मे नियोजक को अभिदाय या उसके द्वारा प्राप्त किए या प्राप्त किए जाने वाले किसी भी प्रकार की सेवा निवृत्ति फायदो की कुल रकम यदि कोई हो मे से घटा दिया जाएगा ।

6. बैठक फीस और बैठके – (1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य और सदस्य सचिव आयोग की और आयोग के लिए बैठकों मे उपस्थित होने के लिए किसी बैठक फीस के हकदार नही होंगे ।

(2) धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ज) और (झ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य एक लाख की अधिकतम सीमा के साथ प्रत्येक बैठक के लिए दस हजार रुपये की बैठक फीस का हकदार होगा और ऐसा सदस्य संयुक्त सचिव, भारत सरकार की हकदारी के अनुसार यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते की प्रतिपूर्ति का हकदार होगा ।

(3) धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ज) और खंड (ट) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्यों से भिन्न, सदस्य आयोग की बैठकों में उपस्थित होने के लिए किसी बैठक फीस के हकदार नहीं होंगे ।

7. उपदान और पेंशन – (1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य 1 जनवरी, 2004 से प्रभावी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की सदस्यता के पात्र होंगे और साधारण भविष्य निधि नियमों के अधीन सदस्यता का कोई विकल्प उनके लिए उपलब्ध नहीं होगा ।

(2) आयोग में दी गई सेवाओं के लिए कोई अतिरिक्त पेंशन और उपदान अनुज्ञेय नहीं होगा ।

8. छुट्टी और छुट्टी नकदीकरण – (1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य आयोग में सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए आनुपातिक आधार पर 30 दिन की अर्जित छुट्टी के हकदार होंगे । अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य केंद्रीय सरकार के समूह 'क' के अधिंकरियों के लिए अनुप्रयोज्य नियमों के अनुसार छुट्टियों का भुगतान पाने के हक़दार होंगे जोकि अधिवर्षित के पहले की छुट्टियों को शामिल करने के उपरांत 300 दिनों से अधिक की नहीं होगी.

(2) छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन का संदाय केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के नियम 40 द्वारा शासित होगा ।

(3) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, किसी भी समय,अपनी अर्जित अवकाश के पचास प्रतिशत के भुगतान के हक़दार होंगे.

(4) (क) अध्यक्ष पूर्णकालिक सदस्यों को छुट्टी प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

(ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का भारसाधक मंत्री अध्यक्ष को छुट्टी स्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा ।

9. भत्ते – (1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, भारत के भीतर दौरा के दौरान या स्थानांतरण पर (जिसके अन्तर्गत आयोग में उपस्थित होने के लिए या आयोग में उनका कार्यकाल पूर्ण होने पर उनके गृह नगर जाने के लिए योजक भी है) पदेन सदस्यों के सिवाय, जो यथास्थिति, अपने विभाग या संगठन के विद्यमान नियमों के अधीन हकदार होंगे, दौरा भत्ते, दैनिक भत्ते, व्यक्तिगत सामान के परिवहन, अन्य सामान मामलों और अन्य हकदारों में उसी स्केल तथा उसी दर पर हकदार होंगे जो आयोग के अध्यक्ष हेतु केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए सर्वोच्च ग्रेड वेतन स्केल लेवल 17 तथा पूर्ण कालिक सदस्यों हेतु वेतन स्केल 15 को लागू होते हैं ।

(2) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य केन्द्रीय सरकार के समान रेंक के समूह क अधिकारी को अनुज्ञेय दर पर महंगाई भत्ता और अन्य भत्तों को प्राप्त करेंगे ।

(3) दौरे पर अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को दौरा भत्ता और दैनिक भत्ता उस मूल वेतन को आहरित करने वाले शासकीय सेवकों को यथाअनुयोज्य संदत्त किया जाएगा तथा वे, जहां कहीं लागू हो, बाहर उस वर्ग के सामान्य किराए के संदाय पर, जिसके लिए समतुल्य वेतन वाले शासकीय सेवक पात्र हैं, केन्द्रीय सरकार के नियंत्रण के अधीन अतिथिगृहों/निरीक्षण बंगलों में स्थायी सरकारी निवास की सुविधा के भी हकदार होंगे ।

10. भारत के बाहर दौरे – (1) अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा भारत के बाहर दौरे के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के भारसाधक मंत्री तथा सचिवों की स्क्रीनिंग समिति का पूर्व अनुमोदन तथा विदेश मंत्रालय से राजनैतिक दृष्टि से तथा गृह मंत्रालय से विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंध के अधीन विदेशी आतिथ्य, यदि कोई हो, स्वीकार करने के लिए स्वीकृति अपेक्षित होगी ।

(2) अध्यक्ष और किसी पूर्णकालिक सदस्य द्वारा शासकीय विदेशी दौरे केवल भारत सरकार के समान ग्रेड वाले अधिकारियों को यथाअनुयोज्य शासकीय आदेशों के अनुसार किए जाएंगे तथा विदेशी दौरे के लिए ऐसे शासकीय प्रतिनिधिमंडलों के संबंध में जिनमें प्रशासनिक सचिव और आयोग के अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य दोनों सम्मिलित हैं,

सचिव प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व करेगा तथा घरेलू दौरों के लिए आयोग पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव को सूचित रखेगा ।

11. छुट्टी यात्रा रियायत – (1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) हेतु उन्हीं दरों पर हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के लिए अध्यक्ष के मामले में सर्वोच्च ग्रेड वेतन स्केल लेवल 17 तथा पूर्णकालिक सदस्यों हेतु वेतन स्केल 15 को लागू होते हैं ।

(2) छुट्टी यात्रा रियायत से संबंधित अन्य शर्तें केन्द्रीय सरकार के समान रेंक वाले समूह क अधिकारियों से संबंधित नियमों द्वारा शासित होंगे ।

12. साधारण पूल आवास हेतु पात्रता – (1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य साधारण पूल आवास के लिए पात्र नहीं होंगे ।

(2) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य विद्यमान दरों पर मकान किराया भत्ता आहरित करने के हकदार होंगे तथा गृह में उपभोग किए गए जल, विद्युत और ईंधन के लिए प्रभार गृह के अधिभोगी द्वारा वहन किया जाएगा ।

13. दूरभाष और यातायात सुविधा – (1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, अध्यक्ष के मामले में केन्द्रीय सरकार के सर्वोच्च ग्रेड में अधिकारी तथा पूर्णकालिक सदस्यों के मामले में संयुक्त सचिव को यथाअनुज्ञेय दूरभाष सुविधा के पात्र होंगे ।

(2) आयोग शासकीय प्रयोजन के लिए किसी यात्री वाहन का क्रय नहीं करेगा तथा वाहनों की आवश्यकता उन्हें किराए पर लेकर पूरी की जाएगी, और अध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर समान वेतन आहरित करने वाले केन्द्रीय सरकार के समूह क अधिकारी हेतु निवास और कार्यालय के बीच यातायात के लिए व्यक्तिगत कार के संबंध में उसके उपयोग के लिए विहित दरों के अनुसार प्रतिमास नियत प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे तथा इसके अन्तर्गत वाहन चालक का वेतन भी होगा जो शासकीय सेवक नहीं होगा ।

14. पद और गोपनीयता की शपथ – अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप 1 में पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण करेगा ।

15. अवशिष्ट उपबंध – (1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों की सेवा के निबंधनों और शर्तों से संबंधित वे विषय, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किए गए हैं, आयोग द्वारा केन्द्रीय सरकार को इसके विनिश्चय हेतु निर्दिष्ट किए जाएंगे, और उनपर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को लागू होगा ।

(2) इन नियमों के आरम्भ के पूर्व नियुक्त अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, एक बार अपवाद के रूप में, अपने कर्तव्यों को आयोग में ग्रहण करने की तारीख से इन नियमों के उपबंधों हेतु पात्र होंगे ।

16. शिथिल करने की शक्ति – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा और अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को शिथिल कर सकेगी ।

[फा. सं. क्यू-15014/10/2020-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

प्ररुप-1

(नियम 15 देखें)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष/पूर्णकालिक सदस्यों के पद की शपथ का प्ररुप ।

"मैं....., जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष/पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं/ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं अपनी सर्वोत्तम योग्यता, ज्ञान और विवेक से अध्यक्ष/पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपने कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से पालन करुंगा ।"

तारीख

(अध्यक्ष/पूर्णकालिक सदस्य का नाम)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2021

G.S.R. 593(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (2) of section 25, read with section 8 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021(29 of 2021) the Central Government hereby makes following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1)These rules may be called the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Appointment, Salary, Allowances and other Terms and Conditions of Service of Chairperson, Full-time Members and Member-Secretary) Rules, 2021.

(2) These rules shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.—**(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021);

(b) "full-time Member" means a full-time Member to the Commission appointed under sub-section (1) of section 4;

(c) "Member-Secretary" means the Member-Secretary of the Commission appointed under sub-section (3) of section 4;

(d) "Section" means a section of the Act;

(2) The words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. **Method of appointment.—**(1) The Chairperson and full-time Members shall be appointed by the Central Government on the recommendations of the Selection Committee, as specified in sub-section (1) of section 4, and in case the Central Government appoints a serving officer as the Chairperson or full-time Member then no recommendation of Selection Committee shall be required.

(2) The Selection Committee shall regulate its procedure for making its recommendations after taking into account the suitability of the persons, record of past performance, integrity and such other parameters as it considers appropriate.

(3) The Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India shall provide secretarial support to the Selection Committee in processing and searching suitable persons for the posts of Chairperson and full–time Members and shall invite applications through an advertisement published on all India basis and such other mode as is considered appropriate:

Provided that in special circumstances, the Selection Committee may select suitable persons for the purpose of appointment of the Chairperson and full-time Members by adopting appropriate method as it deems fit.

(4) The Chairperson should have experience of not less than fifteen years in the field of environment protection and pollution control or should have administrative experience of not less than twenty-five years.

(5) The full-time independent technical Members should have specific knowledge and experience in matters relating to air pollution.

(6) The Central Government shall appoint one officer in the rank of Joint Secretary to the Government of India as a full-time Member-Secretary of the Commission.

4. Terms and conditions of service.—(1) The Chairperson and the full-time Members shall hold office for a term *not exceeding* three years from the date on which they enter upon office or until they attain the age of seventy years, whichever is earlier, and shall be eligible for reappointment:

Provided that where the Central Government appoints a serving officer as the Chairperson or a full-time Member subject to the provisions of second proviso to sub-section (1) of section 4, such appointment shall continue even after superannuation of the officer so appointed**,** *till* completion of term of appointment.

IndiaCode

(2) The Chairperson or full-time Member shall not be eligible to take up private employment in organisations that fell within the operational juridiction of the Commission, till expiry of a period of two years from date of demitting his office, without the permission of the Central Government.

(3) The Member-Secretary shall hold office for **a** tenure not exceeding three years from the date on which he enters upon office or till his superannuation, whichever is earlier, and shall be eligible for reappointment.

5. Pay.—(1) The basic pay of the Chairperson shall be in level-17 and the basic pay of the full-time Member (other than Member-Secretary) of the Commission shall be in level-15 of pay matrix as defined under the pay structure prescribed by the seventh Central Pay Commission:

Provided that in case of appointment of a serving officer as the Chairperson or full-time Member, he shall continue to draw regular pay and allowances as per applicable rules of the Central Government:

Provided further that in case the serving officer retires before completion of his tenure as Chairperson or full-time Member, as the case may be, his pay and allowances shall be governed by sub-rule (3) and rules **7** to 17.

(2) The Member-Secretary shall draw the regular pay and allowances along with all other entitlements as per applicable provisions and rules of the Central Government.

(3) In case of appointment of a person as the Chairperson or a full-time Member who has retired from the service under the Central Government or State Government and who is in receipt of, or has received or has become entitled to receive any retirement benefits by way of pension, gratuity, employers' contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Chairperson or full-time Member, as the case may be, shall be reduced by the gross amount of pension and pension equivalent of gratuity or employer's contribution to the Contributory Provident Fund or any other form of retirement benefits, if any drawn or to be drawn by him.

6. Sitting fee and meetings.—(1) The Chairperson, full-time Members and Member-Secretary shall not be entitled to any sitting fee for attending the meeting**s** of the Commission or for the Commission.

(2) The Members nominated by the Central Government under clauses (h) and (k) of sub-section (2) of section 3 shall be entitled to sitting fee of ten thousand rupees per meeting to a maximum ceiling of one lakh rupees and such members shall also be entitled to reimbursement of traveling allowance and daily allowance as per entitlement of Joint Secretary to the Government of India.

(3) The Members, other than those nominated by the Central Government under clauses (h) and (k) of sub-section (2) of section 3 shall not be entitled to any sitting fee for attending the meetings of the Commission.

7. Gratuity and Pension.—(1) The Chairperson and the full-time Members shall be eligible to join the National Pension System applicable to the Central Government employees with effect from 1st January 2004 and no option to subscribe under General Provident Fund Rules shall be available to them.

(2) Additional pension and gratuity shall not be admissible for the service rendered in the Commission.

8. Leave and leave encashment.—(1) The Chairperson and the full-time Members shall be entitled to thirty days of earned leave for every year of service to the Commission, on pro-rata basis. The Chairperson and the full-time Members shall be entitled to the encashment of leave in accordance with the rules applicable to Group 'A' officers of the Central Government, subject to a maximum encashment of three hundred days, including the leave encashed before superannuation.

(2) The payment of leave salary during leave shall be governed by rule 40 of the Central Civil Service (Leave) Rules, 1972.

(3) The Chairperson and the full-time Members shall be entitled to encashment of fifty per cent of earned leave standing to their credit at any time.

(4) (a) The Chairperson shall be the authority competent to grant leave to the full-time Members.

(b) The Minister–In–Charge of the Ministry Environment, Forest and Climate Change shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

9. Allowances.—(1) The Chairperson and full-time Members, while on tour within India or on transfer (including the joinery undertaken to join the Commission or on the completion of their tenure with the Commission to proceed to their home town) shall be entitled to travelling allowance, daily allowance, transportation of personal effects and other entitlements at the same scale and at the same rate as applicable to the officers in the Central Government in the Apex

pay scale (Level 17) for the Chairperson and in the pay level 15 for full-time Members of the Commission, respectively.

(2) The Chairperson and full-time Members shall receive dearness allowance and other allowances at the rate admissible to a Group 'A' officer of the Central Government of equivalent rank.

(3) Travelling allowance and daily allowance on tour shall be paid to the Chairperson and full-time Members as applicable to the Government servants drawing an equivalent basic pay and they shall also be entitled to the facility of temporary Government Accommodation in Guest Houses/Inspection Bungalows under the control of the Central Government, wherever applicable, on payment of normal rent at out-station, of the class to which the Government servants of equivalent pay are eligible.

10. Official tours outside India.—(1) Tour outside India to be undertaken by the Chairperson or full-time Members shall require prior approval of the Minister-In-Charge of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and of the Screening Committee of the Secretaries and clearance from the Ministry of External Affairs from political angle and from the Ministry of Home Affairs for acceptance of foreign hospitality, if any, under the provision of the Foreign Contribution (Regulation) Act, 2010 (42 of 2010) or any other law for the time being in force.

(2) Official visits abroad by the Chairperson and any full-time Member shall be undertaken only in accordance with the Government orders as applicable to officers of equivalent grade in the Government of India and in regard to official delegations abroad in which both the administrative Secretary and the Chairperson or full-time Members of the Commission are included, the Secretary shall lead the delegation and for domestic tours the Chairperson shall keep the Secretary of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change informed.

11. Leave Travel Concession.—(1) The Chairperson and full-time Members shall be entitled to Leave Travel Concession (LTC) at the same rates as applicable to the officers of the Central Government in the Apex Grade pay level 17 in the case of Chairperson and in the pay level 15 in the case of full-time Members.

(2) Other conditions relating to Leave Travel Concession shall be governed by the rules relating to Group 'A' officers of the same rank of the Central Government.

12. Eligibility for General Pool Accommodation.—(1) The Chairperson and full-time Members shall not be eligible for General Pool Residential Accommodation.

(2) The Chairperson and full-time Members shall be entitled to draw House Rent Allowance as per extant rates and charges for water, electricity and fuel consumed in the house shall be borne by the occupant of the house.

13. Telephone and transport facility.—(1) The Chairperson and full-time Members shall be eligible for telephone facility as admissible to the officer of the Central Government in the Apex Grade in case of the Chairperson and as for Joint Secretary in case of full-time Members.

(2) The Commission shall not purchase any passenger vehicle for official purpose and the requirement of vehicles shall be met by hiring and the Chairperson and full-time Members shall be eligible for fixed reimbursement per month as per the rates prescribed by the Central Government drawing an equivalent pay for the use and maintenance of his personal car for transportation between residence and office and it shall include the salary of a driver who shall not be a Government servant.

14. Oath of office and secrecy.—(1) Every person appointed as the Chairperson and full-time Member shall, before entering upon his office, subscribe to an oath of office and an oath of secrecy in Form-I annexed to these rules.

15. Residuary provisions.—(1) Matters relating to the terms and conditions of service of the Chairperson and full-time Members with respect to which no express provisions have been made in these rules, shall be referred by the Commission to the Central Government for its decision, and the decision of the Central Government thereon shall be applicable to the Chairperson and the full-time Members.

(2) The Chairperson and full-time Members appointed before the commencement of these rules, as a one-time exception, shall be eligible to the provisions of these rules from the date of their joining duty in the Commission**.**

16. Powers to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

[F. No. Q-15014/10/2020-CPW]
NARESH PAL GANGAWAR, Jt. Secy.

Form-I

(See rule 15)

Form of oath of office for the Chairperson / full-time Members of the Commission for Air Quality Management of National Capital Region and Adjoining Areas.

"I _____,having been appointed as Chairperson/full-time Member of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas do solemnly affirm/swear in the name of God that I will faithfully and consciously discharge my duties as Chairperson /full-time Member to the best of my ability, knowledge and judgement,without fear or favor,affection or ill –will."

Date:

(Name of the Chairperson/full-time Member)

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.27 23:10:57 +05'30'